

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर

क्रमांक : स्था/02/2020/3092

दिनांक :- 24 - मार्च, 2020


आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 11/पीआई/2020 दिनांक 22.03.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3089 दिनांक 23.03.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 24.03.2020 को मुख्य/अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय के लिए आवश्यक प्रकृति के दीवानी व फौजदारी मामलों की सुनवाई हेतु अधिकृत अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम 10 जयपुर महानगर के स्थान पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

01 मुख्य/अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम व पीठासीन अधिकारी जिन्हें अधिकृत किया गया है	दिनांक	न्यायालयों का नाम जिनसे संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे	सी०यू०जी० मोबाईल नं० व ईमेल आईडी
01	ACMM No. 08	24.03.2020	CMM, ACMM E.O, Comm. Riots, Rent Tribunal and ACMM No. 1 to 7 & 10	8279081626 acmm10-jaip-rj@heraj.nic.in

शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।



24/3/20
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर

क्रमांक : स्था/02/2020/3092

दिनांक :- 24 - मार्च, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 संबंधित पीठासीन अधिकारी
- 02 अध्यक्ष/सचिव, दी वार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर
- 03 पुलिस अधीक्षक, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस संबंध में सभी आरक्षी केंद्रों को सूचित करावें।
- 04 सिस्टम ऑफिसर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 05 नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
- 06 आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली


24/3/20
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर